

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,

मुख्य सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उ० प्र० शासन।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई, 2018

विषय: राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों की **ई-आवण्टन प्रणाली** लागू किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा विधान परिषद के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष, मंत्रीगण, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण, विधान परिषद के उपसभापति, विधान सभा के उपाध्यक्ष, विधान सभा/परिषद के सदस्यगण, न्यायिक सेवा के अधिकारीगण, राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अधिकारीगण/कर्मचारीगण, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, न्यासों को राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन किया जाता है।

2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन आवासों के आवण्टन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाए जाने तथा कार्य के निस्तारण में गति लाए जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास आवण्टन में **ई-आवण्टन प्रणाली** लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास आवण्टन की **ई-आवण्टन प्रणाली** के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं:-

(1) राज्य सम्पत्ति विभाग में राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास आवण्टन की व्यवस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) द्वारा विकसित आवास आवण्टन प्रणाली साफ्टवेयर पर आधारित होगी।

(2) आवास आवण्टन हेतु राज्य सरकार के स्थायी सरकारी सेवक ही पात्र होंगे और उन्हें अपना आवेदन पत्र आन लाइन भरना होगा, जिसमें आवेदक के आधार संख्या, पैन संख्या एवं मोबाइल नम्बर की प्रविष्टियां अनिवार्य होगी। पूर्ण रूप से फार्म भरने के उपरान्त दिए गए मोबाइल नम्बर पर आवेदन संख्या एवं पासवर्ड का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एस0एम0एस0 जाएगा और इसी के आधार पर आवेदक भविष्य में आवेदन प्रास्थिति देख सकेगा और अग्रतर कार्यवाही कर सकेगा।

(3) आवेदन भरने की यह कार्यवाही नए आवास आवण्टन की दशा में प्रत्येक कैलेण्डर माह के 20वें दिन तक तथा आवास परिवर्तन की दशा में प्रत्येक कैलेण्डर माह के 29वें दिन तक (फरवरी माह में अन्तिम दिवस तक) की जा सकेगी।

(4) भली-भाँति भरे गए आवेदन का प्रिन्ट आउट लेकर आवेदक को अपने कार्यालयाध्यक्ष से उसके स्थाई सेवक होने की पुष्टि हेतु अग्रसारित कराना होगा। तदुपरान्त उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित धारित पद के वेतन एवं अन्य परिलब्धियों की पुष्टि सम्बन्धित विभाग/संगठन के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी की लॉगिन आई0डी0 से आवेदन पत्र **आवास आवण्टन की ई-प्रणाली** पर अपलोड किया जाएगा।

(5) उपर्युक्तानुसार आवेदक के सत्यापित आवेदन पत्र को आहरण वितरण अधिकारी की लॉगिन आई0डी0 से अपलोड कर दिए जाने के उपरान्त आवेदक आवास आवण्टन हेतु वेबसाइट पर प्रदर्शित रिक्त आवासों में से तीन रिक्त आवासों का विकल्प अंकित कर सकेगा। आवेदक विकल्प भरने की यह कार्यवाही प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक कर सकेगा।

(6) प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को आवास आवण्टन की कार्यवाही स्वतः (Automatic) होगी। आवण्टित आवास की सूचना, आवण्टन नम्बर तथा पासवर्ड आवेदक को एस0एम0एस0 द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यही आवण्टन नम्बर उसकी लॉगिन आई0डी0 होगी तथा इसके माध्यम से आवेदक अपना आवण्टन आदेश डाउनलोड कर सकेगा। भविष्य में भी इस आवास के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएं एस0एम0एस0 से प्राप्त होती रहेंगी।

(7) आवण्टन आदेश की प्रति डाउनलोड कर आवेदक को परिवर्तन की दशा में 05वें दिन एवं नवीन आवण्टन की दशा में 08वें दिन तक यथास्थिति सम्बन्धित कॉलोनी के व्यवस्थाधिकारी/अवर अभियन्ता इन्चार्ज से सम्पर्क कर कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा स्थिति में आवण्टन/परिवर्तन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

(8) आवण्टिती को आवास हस्तान्तरित कर दिए जाने के उपरान्त यथास्थिति सम्बन्धित कॉलोनी के व्यवस्थाधिकारी/अवर अभियन्ता इन्चार्ज का यह दायित्व होगा कि वह कब्जे की सूचना राज्य सम्पत्ति निदेशालय को अगले कार्यदिवस में उपलब्ध करा दें। राज्य सम्पत्ति निदेशालय सूचनाओं को तत्काल अपडेट करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(9) आवण्टिती यदि किसी कारणवश आवण्टित आवास को अभ्यर्पित करना चाहता है तो वह यथास्थिति सम्बन्धित कॉलोनी के व्यवस्थाधिकारी/अवर अभियन्ता इन्चार्ज के कार्यालय में उपलब्ध एतद्विषयक रजिस्टर में प्रविष्टि सुनिश्चित करेगा। सम्बन्धित कॉलोनी के व्यवस्थाधिकारी/अवर अभियन्ता इन्चार्ज इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवण्टिती को कब्जा हस्तान्तरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे तथा उसकी सूचना अगले कार्य दिवस में निदेशालय को देंगे।

(10) उपर्युक्त आवास आवण्टन प्रणाली राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन आवास आवण्टन अधिनियम/नियमावली, 2016 से आच्छादित होगी तथा उसके समस्त उपबन्ध इस सम्बन्ध में लागू माने जाएंगे।

4. अतः अनुरोध है कि राज्य सम्पत्ति विभाग में लागू आवास आवण्टन की ई-प्रणाली से अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या:1/2018/आर-4146(1)/32-2-2018-40/2017व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, 30 प्र०।
- (2) समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष, 30 प्र०।
- (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30 प्र० शासन।
- (4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, 30 प्र० शासन।
- (5) निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, लखनऊ।
- (6) अधीक्षण अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिक, 39वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (7) समस्त व्यवस्थाधिकारी, विधायक निवास।
- (8) सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

योगेश कुमार शुक्ल

विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।